उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्याः198122/2022/ 71-1001/478/2020-
लखनऊः दिनॉक 03 अगस्त, 2022

विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, रेडियोथेरेपी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 13.02.2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल–11 (इन्ट्री पे–रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करनें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंर्तगत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित् अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिश करनें की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम–18 के अर्न्तगत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2– कार्यभार ग्रहण करनें के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होगें:–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।

(2) अभियोजन लम्बित न होनें तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होनें अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होनें के संबंध में शपथ पत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होनें का प्रमाण पत्र।

3– अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करानें के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करानें से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाएं जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

198122/2022

5— अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरूद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

Signed by आलोक कुमार
Date: 01-08-2022 17:32:20
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या—उपरोक्त तद्दिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5.. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. सबंधित चिकित्सा शिक्षक।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्याः एम0ई0-2/2022/ 1739-40

लखनऊःदिनांक 08 अगस्त,2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झांसी।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।

(अनिल कुमार)
अपर निदेशक(प्रशासन)

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 198122/2022 /71-1001/478/2020
लखनऊः दिनॉक 03 अगस्त, 2022 का संलग्नक

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि0नं0/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा0 सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री महावीर प्रसाद सैनी/53200021568/अनारक्षित	नियर ओल्ड पोस्ट आफिस लक्ष्मण गढ़ जिला सिकर, राजस्थान पिन–332311	मेडिकल कालेज, झांसी

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव